

न्यायालय श्रीमान् जनपद न्यायाधीश महोदय, प्रतापगढ़।

MNR No 75/20.

27/10/2021

रामकृष्ण मिश्र उम्र लगभग 45 वर्ष पुत्र उदयराज मिश्र निवासी ग्राम-पूरेनरसिंहभान, करनपुर, भंगवा की चुंगी, परगना व तहसील-सदर, जनपद-प्रतापगढ़ (उ०प्र०)

.....वादी।

बनाम

श्रीमती आभा त्रिपाठी उम्र लगभग 55 वर्ष पत्नी प्रभात चन्द्र त्रिपाठी निवासी ग्राम ग्राम-पूरेनरसिंहभान, करनपुर, भंगवा की चुंगी, परगना व तहसील-सदर, जनपद-प्रतापगढ़ (उ०प्र०)

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-24 जा०दी०

ओ०एस० नं०-297/2018

उदयराज आदि बनाम श्रीमती आभा त्रिपाठी

न्यायालय श्रीमान् सिविल जज (सी०डि०)

ता०पे०-08/10-2020

08/10/2020

श्रीमान् न्यायाधीश महोदय जी,
50

निवेदन है कि प्रार्थी ने सिविल जज (सी०डि०) प्रतापगढ़ के न्यायालय में मूलवाद संख्या-297/2018 उदयराज बनाम श्रीमती आभा त्रिपाठी प्रस्तुत किया, जो विचाराधीन है। उक्त मुकदमें में श्रीमान् जी के पूर्वाधिकारी महोदय ने सिविल जज (सी०डि०) का न्यायालय रिक्त होने के पश्चात् अपर सिविल जज (सी०डि०) कक्ष संख्या-15 में विपक्षी आभा त्रिपाठी के द्वारा प्रस्तुत अन्तरण प्रार्थना-पत्र पर प्रार्थी/वादी को बिन सुने अन्तरित कर दिया गया। ज्ञातव्य हो कि अपर सिविल जज (सी०डि०) कक्ष संख्या-15 को पुनः सिविल जज (सी०डि०) कक्ष संख्या-15 को पुनः सिविल जज (सी०डि०) प्रतापगढ़ अन्तरित होने पर पूर्व जिला सत्र न्यायाधीश महोदय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दिनांक 25.07.2019 को सिविल जज (सी०डि०) के न्यायालय में अन्तरित कर दिया गया। श्रीमती आभा त्रिपाठी, न्यायमूर्ति प्रभात कुमार त्रिपाठी जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, का अनुचित लाभ उठाते हुए वादग्रस्त भूमि पर अवैध निर्माण करने लगे और अधिकारियों के ऊपर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए प्रभाव डालने लगे। मुकदमें में दिन-प्रतिदिन सुनवाई हेतु तिथि लगायी जा रही है जबकि बहुत से ऐसे मामले/मुकदमें जिसमें त्वरित निर्णय व कार्यवाही हेतु

मा० उच्च न्यायालय का दिशा-निर्देश है। प्रस्तुत प्रकरण में उच्च न्यायालय का निर्देश/निस्तारित करने हेतु कोई समय सीमा या निर्देश किसी प्रकार का नहीं है। मुकदमें की कार्यवाही व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का व्यवहार देखते हुए यह पूर्णरूपेण सिद्ध है कि पीठासीन अधिकारी महोदय के ऊपर श्रीमती आभा त्रिपाठी के पति न्यायमूर्ति प्रभात कुमार का दबाव है। श्रीमती आभा त्रिपाठी इस बात की ऐलानियाँ धमकी दे रही है कि मुकदमें में मैं किसी भी कीमत पर निर्णय अपने पक्ष में प्राप्त कर लूँगी। न्यायालय की कार्यवाही व पत्रावली के अवलोकन से मुकदमें में लगातार नजदीक तारीखे श्रीमती आभा त्रिपाठी के पति न्यायमूर्ति के दबाव में लगायी जा रही है। इस प्रकार प्रार्थी को विश्वास है कि न्यायालय श्रीमान् सिविल जज (सी०डि०) द्वारा कोई भी पारित आदेश न्यायमूर्ति श्री प्रभात कुमार त्रिपाठी के दबाव में होगा।

“ प्रार्थी ने इन्हीं आरोपों के साथ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में याचिका संख्या प्रकीर्ण एकल 280046/2019 उदयराज मिश्रा बनाम सिविल जज (सी०डि०) आदि में प्रस्तुत किया था। जिस पर मा० न्यायमूर्ति महोदय ने दिनांक- 15.10.2019 को यह आदेश पारित किया कि याची को यह स्वतंत्रता होगी कि वह इन आरोपों के साथ सम्बन्धित न्यायालय में विधिक फोरम के साथ अपनी वेदना को प्रकट करे जिसके कारण यह अन्तरण प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है”।

अतः निवेदन है कि मुकदमा जिसका विवरण निम्नवत है, को सिविल जज (सी०डि०) के न्यायालय से अन्तरित करके किसी अन्य न्यायालय में अन्तरित करने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

विवरण मुकदमा -

ओ०एस० नं०-297/18

न्यायालय श्रीमान् सिविल जज (सी०डि०) प्रतापगढ़।

उदयराज मिश्रा आदि बनाम श्रीमती आभा त्रिपाठी

ता०पे०- 8/10/2020

विनीत

दिनांक: 6/10/2020 -

रामकृष्ण मिश्र (वादी)

द्वारा -

✓